टी०ए० मिस केस सं०– 437/2020–21

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
03.03.2021	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **श्री सुसारन सोय**, पिता/पति– **स्व० कृष्ण सोय**, ग्राम– **टोन्टो**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **टोन्टो**, थाना न0– **650**, खाता न0– **133**, प्लॉट न0– **164**, रकवा– **0.07 $\frac{1}{2}$** एकड़, भूमि क्रेता **श्रीमती मुगनी मुर्मू**, पिता/पति– **जगबन्धु मुर्मू**, ग्राम– **करलाजुड़ी**, थाना– **मुफ्फसिल** चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तुक (ए) के अन्तर्गत क्रेता इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता भी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के दादा एंव अन्य के नाम पर हालसर्वे खतियान में दर्ज है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 290, दिनांक 03.03.2021 के द्वारा प्राप्त है। पक्का घर बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **श्रीमती मुगनी मुर्मू**, पिता/पति– **जगबन्धु मुर्मू**, ग्राम– **करलाजुड़ी**, थाना– **मुफ्फसिल**, के पास **1,40,300.00/–(एक लाख चालीस हजार तीन सौ रूपये) मात्र।** में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एंव क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात भी **2.50 एकड़** भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित हैं। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **श्री सुसारन सोय**, पिता/पति– **स्व० कृष्ण सोय**, ग्राम– **टोन्टो**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **टोन्टो**, थाना नं०–**650**, खाता नं०–**133**, प्लॉट नं०– **164**, रकवा– **0.07$\frac{1}{2}$ एकड**, भूमि क्रेता **श्रीमती मुगनी मुर्मू**, पिता/पति– **जगबन्धु मुर्मू**, ग्राम– **करलाजुड़ी**, थाना– **मुफ्फसिल** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तुक (ए)के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की.....अनुमति.....दी जाती है। लेखापित। ह० 03/03 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। ह० 03/03/2021 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

RR Gope

Scanned with CamScanner